App - A
Crim - 1

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

धारू व अन्य बनाम जतना व अन्य

प्रार्थना-पत्र

किस्म मुकदमा 16 नम्बर 2022 सन् 2022

अन्तर्गत धारा 212 RT Act r/w 39 R.1&2 धारा 151 CPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	25/3/2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 C.P.C के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आयन्दा दिनांक 25/4/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	25/4/22 वकील प्रार्थीगण उप० पत्रावली में प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली वास्ते प्रार्थना-पत्र के जवाब हेतु आयन्दा दिनांक 23/5/22 को पेश हो। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक चन्दन सिंह Adv. मय वकालतनामा पेश हो सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	23/5/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन कैम्प अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रा. दिनांक 5/7/2022 को पेश हो। रीडर	
	5/7/2022 वकुलाम उप० पत्रावली में तहसीलदार देसूरी का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के जवाब हेतु पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/8/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
3/1/2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया की मौजा ग्राम बडोड के खसरा नम्बर क्रमशः 175, 220, 223, 255, 260, 262, 269, 82, कुल रकबा 6.30 हैक्टयर किस्म आराजी दोयम कृषि भूमी विद्यमान है प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के पिता/दादा स्वर्गीय देवाराम पुत्र गलाजी सिरवी की खातेदारी कब्जा सुदा रही है स्व० देवाराम पुत्र गलाजी के चार पुत्रिया प्रार्थी संख्या 1 से 4 दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के पिता स्व० शोभाराम है पिता स्व० देवाराम की मृत्यु 2019 को तथा माता धापूडी देवी की मृत्यु 2018 को ग्राम बडोड में हुई। माता-पिता की सेवा-चाकरी प्रार्थी संख्या-1 ने की। प्रार्थी संख्या 4 अपनी पति के साथ व्यवसाय के कारण गुजरात में रहता है अप्रार्थीगण 1 से 6 ने कभी भी देवाराम की सेवा-चाकरी व देख रेख नही की। प्रार्थी संख्या 1 ने ही पिता व माताजी पिछले 15 वर्षों से सेवा चाकरी की है. स्व० देवाराम की वादग्रस्त आराजी खातेदारी कब्जा सुदा होने से प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/6 - 1/6 हिस्सा यानि सभी प्रार्थीगण की कुल 5/6 वां हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का 1/6 हिस्सा बहैसियत उत्तराधिकारी व वारिसान के संयुक्त खातेदारी कब्जा सुदा है अप्रार्थी संख्या 1 से 6 मृत शोभाराम पुत्र देवाराम के वारिसान है जिनका वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का 1/6 हिस्सा ही विद्यमान है वादग्रस्त आराजी शेष 5/6 हिस्सा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा सुदा है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया की वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं के श्रम से भूमी को समतल व उपजाऊ बनाया एवं सिंचाई हेतु पाईपलाईन बिछाई व कुंआ गहरा कराया उक्त सफलता के बावजूद अप्रार्थीगण ने संपूर्ण वादग्रस्त आराजी को अकेले हड़पने की बदनियती से प्रार्थीगण से विवाद गलत शुरु किया। प्रार्थी संख्या 1 के साथ अप्रार्थीगण तथा उसके सहयोगियो ने दिनांक 4/1/2022 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

को मारपीट की। बलपूर्वक बेदखल करने हेतु तोड़फोड़ कर नुकसान कारित किया। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से परेशान होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। प्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजी में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाकर अपना हक पृथक करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के हिस्से पर अप्रार्थीगण को बलपूर्वक अवैध बेदखली नुकसानी करने का अधिकारी नहीं है। न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से अवैध कृत्य करने से रोकना आवश्यक है। प्रार्थीगण का वाद विभाजन व निषेधाज्ञा का है।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के 5/6 हिस्से में कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की बेदखली, हस्तक्षेप नहीं करे। न अवैध हस्तान्तरण करे। न ही किसी अन्य से करावे। अप्रार्थीगण उसके एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मूल वाद का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है की वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/6 - 1/6 हिस्सा यानि सभी प्रार्थीगण का कुल 5/6 वां हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का 1/6 हिस्सा ही विद्यमान है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी संख्या 1 के साथ मारपीट करने, बलपूर्वक बेदखल करने एवं तोड़फोड़ कर नुकसानी कारित करने का अप्रार्थीगण ने उक्त अवैध कृत्य किया जाना जाहिर है। पुलिस कार्यवाही हुई है। सभी अप्रार्थीगण एक होकर वादग्रस्त आराजी को अकेले हड़पना चाहते है। जबकी समस्त प्रार्थीगण का वाद ग्रस्त आराजी में पुश्तैनी खातेदारी हक विद्यमान है।

प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो न्याय के सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है।

[signature]

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
जिसके प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण के 5/6 हिस्से में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेदखली, हस्तक्षेप नहीं करे न ही हस्तान्तरण करे। एवं रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे। आदेश आज दिनांक 19.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible]	